

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या **105** / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016

दिनांक **2** जुलाई 2015

स्थानान्तरण आदेश

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या 2092/ XXIV-2/13-32 (01)2013 दिनांक 05 सितम्बर 2013 एवं उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 एवं 2015 के नियम 10-(2)(ख) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण की श्रेणी - विद्यालयी शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षणोत्तर कार्मिक की शिक्षक पति अथवा पत्नी द्वारा Y क्षेत्र में स्थानान्तरण के अनुरोध के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।


क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	ब्लाक	कार्यरत रा0उ0प्रा0वि0 विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित रा0उ0प्रा0वि0 विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मीनू चौहान, स0अ0	जसपुर	रा0प्रा0वि0 अंगदपुर	रा0प्रा0वि0 चितरंजनपुर, गदरपुर

हस्ता0/-
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उधमसिंह नगर।

पृष्ठांकन संख्या **2025-31** / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2-अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 3-मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 4-सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये। विद्यालय अध्यापक विहीन होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।
- 5-संबन्धित कोषाधिकारी।
- 6- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 7- कार्यालय आदेश पंजिका।


 (कि0के0वाणीय)
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
 उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या **106** / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016

दिनांक **21** जुलाई 2015

स्थानान्तरण आदेश

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या 2092/ XXIV-2/13-32 (01)2013 दिनांक 05 सितम्बर 2013 एवं उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 एवं 2015 के नियम 10-(2)(ग) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण की श्रेणी - गम्भीर रोग से ग्रस्त शिक्षक/विकलांग शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चें गम्भीर रोग से ग्रस्त हैं एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चें **60%** या उससे अधिक विकलांग हो के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।


क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	ब्लाक	कार्यरत रा0प्रा0वि0 विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित रा0प्रा0वि0 विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	भूपेन्द्र कुमार, स0अ0	सितारगंज	रा0प्रा0वि0 हूलो	रा0प्रा0वि0 सीतारामपुर, काशीपुर
2	रजनी बाला, स0अ0	रुद्रपुर	रा0प्रा0वि0 हल्दी	रा0प्रा0वि0 किच्छा वार्ड 9/10 रुद्रपुर
3	श्रीमती सीमा झा, स0अ0	रुद्रपुर	रा0प्रा0वि0 शहदौरा	रा0प्रा0वि0 नवीन देवरिया, रुद्रपुर

हस्ता0/-
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उधमसिंह नगर।

पृष्ठांकन संख्या **2032-38** / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय अध्यापक विहीन होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।
- 5- संबन्धित कोषाधिकारी।
- 6- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 7- कार्यालय आदेश पंजिका।


 (कि0क0वा0र्ष0य0) 21.7.15
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
 उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या **106** / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016

दिनांक **21** जुलाई 2015

स्थानान्तरण आदेश

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या 2092/ XXIV-2/13-32 (01)2013 दिनांक 05 सितम्बर 2013 एवं उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 एवं 2015 के नियम 10-(2)(ग) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण की श्रेणी - गम्भीर रोग से ग्रस्त शिक्षक/विकलांग शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चें गम्भीर रोग से ग्रस्त है एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चें **60%** या उससे अधिक विकलांग हो के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।

क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	ब्लाक	कार्यरत रा0प्रा0वि0 विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित रा0प्रा0वि0 विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	भूपेन्द्र कुमार, स0अ0	सितारगंज	रा0प्रा0वि0 हूलो	रा0प्रा0वि0 सीतारामपुर, काशीपुर
2	रजनी बाला, स0अ0	रुद्रपुर	रा0प्रा0वि0 हल्दी	रा0प्रा0वि0 किच्छा वार्ड 9/10 रुद्रपुर
3	श्रीमती सीमा झा, स0अ0	रुद्रपुर	रा0प्रा0वि0 शहदौरा	रा0प्रा0वि0 नवीन देवरिया, रुद्रपुर

हस्ता0/-
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उधमसिंह नगर।

पृष्ठांकन संख्या **2032-38** / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये। विद्यालय अध्यापक विहीन होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।
- 5- संबन्धित कोषाधिकारी।
- 6- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 7- कार्यालय आदेश पंजिका।

(के0के0वार्षीय)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 107 / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016

दिनांक 21 जुलाई 2015

स्थानान्तरण आदेश

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या 2092/ XXIV-2/13-32 (01)2013 दिनांक 05 सितम्बर 2013 एवं उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 एवं 2015 के नियम 10-(2)(ग) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण की श्रेणी- गम्भीर रोग से ग्रस्त शिक्षक/विकलांग शिक्षक, ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चें गम्भीर रोग से ग्रसित हैं एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चें 60% या उससे अधिक विकलांग हों के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।


क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	ब्लाक	कार्यरत रा०उ०प्रा०वि० विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित रा०उ०प्रा०वि० विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	प्रभाशंकर शर्मा, स०अ०	खटीमा	रा०उ०प्रा०वि० मौ०पुर भुड़िया	रा०उ०प्रा०वि० सुजिया महोलिया, खटीमा
2	देवेन्द्र सिंह रौतेला, स०अ०	खटीमा	रा०उ०प्रा०वि० मौ०पुर भुड़िया	रा०उ०प्रा०वि० उमरू खुर्द, खटीमा
3	आशा शर्मा, स०अ०	गदरपुर	रा०उ०प्रा०वि० आनन्दखेड़ा	रा०उ०प्रा०वि० छतरपुर, रुद्रपुर

हस्ता० / -
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उधमसिंह नगर।

पृष्ठांकन संख्या 2039-45 / प्रा०शि० / स्थानान्तरण / 2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय में 50%से अधिक शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।
- 5- संबन्धित कोषाधिकारी।
- 6- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 7- कार्यालय आदेश पंजिका।


(को०के०वार्धन्य)

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 108/प्रा0शि0/स्थानान्तरण/2015-2016

दिनांक 21 जुलाई 2015

स्थानान्तरण आदेश

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या 2092/XXIV-2/13-32 (01)2013 दिनांक 05 सितम्बर 2013 एवं उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 एवं 2015 के नियम 10-(2)(घ) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण की श्रेणी- मानसिक रूप से विकसित बच्चों के शिक्षक माता/पिता की चिकित्सा के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।


क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	ब्लाक	कार्यरत रा0प्रा0वि0 विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित रा0प्रा0वि0 विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	अनीता अरोरा, स0अ0	बाजपुर	रा0प्रा0वि0 गणेशपुर	रा0प्रा0वि0 जैतपुर घोसी, काशीपुर

हस्ता0/-
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उधमसिंह नगर।

पृष्ठांकन संख्या 2046-51/प्रा0शि0/स्थानान्तरण/2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराये। विद्यालय अध्यापक विहीन होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।
- 5- संबन्धित कोषाधिकारी।
- 6- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 7- कार्यालय आदेश पंजिका।


(के0के0वा0प्रा0वि0)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 109 / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016

दिनांक 21 जुलाई 2015

स्थानान्तरण आदेश

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या 2092/ XXIV-2/13-32 (01)2013 दिनांक 05 सितम्बर 2013 एवं उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 एवं 2015 के नियम 10-(2)(च) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण की श्रेणी- जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के अनुसार) 03 वर्ष या उससे कम अवधि शेष हो, के अन्तर्गत निम्नांकित सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।


क्र0स0	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	ब्लाक	कार्यरत रा0प्रा0वि0 विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित रा0प्रा0वि0 विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	राजेन्द्र सिंह, स0अ0	जसपुर	रा0उ0प्रा0वि0 गढ़ीहुसैन	रा0उ0प्रा0वि0 करनसिंह मेमोरियल, जसपुर
2	भोलानाथ पाण्डे, स0अ0	बाजपुर	रा0उ0प्रा0वि0 सिंहाली	रा0उ0प्रा0वि0 बांसखेड़ा, बाजपुर
3	गजराम सिंह, स0अ0	बाजपुर	रा0उ0प्रा0वि0 पटौती	रा0उ0प्रा0वि0 रेलवे स्टेशन, काशीपुर
4	सुमित्रा यादव, स0अ0	बाजपुर	रा0उ0प्रा0वि0 शिवपुरी	रा0उ0प्रा0वि0 खमरिया बाजपुर
5	रोशन लाल, स0अ0	सितारगंज	रा0उ0प्रा0वि0 ऐंजनिया	रा0उ0प्रा0वि0 बरा, रूद्रपुर
6	पार्वती परिहार, स0अ0	रूद्रपुर	रा0उ0प्रा0वि0 रामनगर	रा0उ0प्रा0वि0 रामेश्वरपुर, रूद्रपुर
7	डाल चन्द गंगवार, स0अ0	खटीमा	रा0उ0प्रा0वि0 मो0पुर भुड़िया	रा0उ0प्रा0वि0 नौसर, खटीमा

हस्ता0/-
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उधमसिंह नगर।

पृष्ठांकन संख्या 2052-57 / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय में 50%से अधिक शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।
- 5-संबन्धित कोषाधिकारी।
- 6- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 7- कार्यालय आदेश पंजिका।


 (के0के0वर्षाय)
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
 उधमसिंह नगर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) जनपद उधमसिंह नगर।

आदेश संख्या 110 / प्रा0शि0 / स्थानान्तरण / 2015-2016

दिनांक 21 जुलाई 2015

स्थानान्तरण आदेश

शासन की अधिसूचना संख्या 201/XXIV-2/2013-32 (1)2013 दिनांक 21 मई 2013 एवं शासनादेश संख्या 2092/ XXIV-2/13-32 (01)2013 दिनांक 05 सितम्बर 2013 एवं उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवम् स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली 2013 यथा संशोधित 2014 एवं 2015 के नियम 10-(2)(च) में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण की श्रेणी -जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में (स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च के अनुसार) 03 वर्ष या उससे कम अवधि शेष हो, के अन्तर्गत निम्नांकित प्रधान अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।


क्र०स०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	ब्लाक	कार्यरत रा०उ०प्रा०वि० विद्यालय/क्षेत्र का नाम	स्थानान्तरित रा०उ०प्रा०वि० विद्यालय/ क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5
1	प्रवीण सिंह, प्र०अ०	बाजपुर	रा०उ०प्रा०वि० नमूना	रा०उ०प्रा०वि० रहमापुर, जसपुर

हस्ता०/-
मुख्य शिक्षा अधिकारी
उधमसिंह नगर।

पृष्ठांकन संख्या 2058-64 / प्रा०शि० / स्थानान्तरण / 2015-2016 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
- 3- मुख्य शिक्षा अधिकारी, उधमसिंह नगर।
- 4- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) उधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कि आदेश सम्बन्धित को प्राप्त कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें। विद्यालय में 50%से अधिक शिक्षकों की कमी होने की स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षक को प्रतिस्थानी के आने पर ही कार्यमुक्त किया जायेगा।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 6- सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 7- कार्यालय आदेश पंजिका।


 (को०के०वाण्य)
 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)
 उधमसिंह नगर।